तत्काल/समयबद्ध

संख्या-1/2019/06/एक-12-2019-रा0-12

प्रेषक,

जय प्रकाश तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-12 लखनऊः दिनांक 15 जनवरी, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2506-भूमि सुधार-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं- 0101-उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के सीलिंग भूमि आवंटियों को आर्थिक सहायता-27-सब्सिडी योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के समक्ष वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-832/15सी0-42(3)/2018-19 दिनांक 02.01.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-157/एक -12-2018-रा0-12 दिनांक 17.04.2018 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2506-भूमि सुधार-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के सीलिंग भूमि आवंटियों को आर्थिक सहायता-27-सब्सिडी योजना के अन्तर्गत प्राविधानित रूपये-1.00लाख (रूपये एक लाख मात्र) की धनराशि, जो उक्त शासनादेश दिनांक 17.04.2018 द्वारा आपके निर्वतन पर रखी गयी, के सापेक्ष जनपद फतेहपुर के लिए रूपये-1,950.00 (रूपये एक हजार नौ सौ पचास मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आबंटित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) उक्त धनराशि जिस प्रयोजन के लिए दी जा रही है, उसी मद में व्यय की जायेगी।
(2) स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में व्यय कर ली जायेगी।
(3) उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।
(4) उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2506-भूमि सुधार-789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं- 0101-उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के सीलिंग भूमि आवंटियों को आर्थिक सहायता-27-सब्सिडी योजना के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

(जय प्रकाश तिवारी)
संयुक्त सचिव।

2/----

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है।

shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1/2019/06(1)/एक-12-2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- जिलाधिकारी, फतेहपुर।
4- कोषाधिकारी, फतेहपुर।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
6- समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ)/ राजस्व अनुभाग-6
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश तिवारी)
संयुक्त सचिव।

shasanadesh.up.inc.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है।